मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

::–सार्वजनिक सूचना–::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगरीय क्षेत्रों में मुख्य मार्गो पर सीमित गहराई तक मिश्रित भू–उपयोग निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 103वी बोर्ड बैठक दिनांक 06–09–2014 के मद सं0 5 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें मार्गो का विवरण निम्नवत् है:–

1–दैनिक जागरण चौराहें से परतापुर आर0ओ0बी0 ब्रिज तक दिल्ली रोड।

2–मेट्रो प्लाजा चौराहा से भोला रोड तिराहे तक बागपत रोड।

3–कंकरखेडा आर0ओ0बी0से दिल्ली बाईपास तक सरधना रोड।

4–बीकानेर तिराहें से पूर्व विकास क्षेत्र सीमा तक रूडकी रोड।

5–कमिश्नर आवास चौराहे से जेल चुंगी चौराहे तक एल0आई0सी0 रोड।

6–मवाना रोड स्थित ट्रान्सलेम से परिक्षितगढ रोड तक प्रस्तावित इनर रिंग रोड।

उक्त मार्गो में 36.0 मी0 तक चौडे मार्गो के किनारे 60 मी0 गहराई तक, 45.0 मी0 तक चौडे मार्गो के किनारे 75.0 मी0 गहराई तक तथा 45.0 मी0 से अधिक चौडे मार्गो के किनारे 120.00 मी0 गहराई तक, व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण अनुमन्य होगा। मिश्रित भू–उपयोग केवल आवासीय भू–उपयोग में अनुमन्य होगा तथा आवासीय से उच्च कियाओं पर प्रभाव शुल्क भी देय होगा। शेष व्यवस्थाऐं मेरठ महायोजना–2021 में इंगित प्राविधानों के अनुसार रहेगी।

अत: प्रस्ताव पर प्राधिकरण की 104वीं मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 3–12–2014 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव पर जनता से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं यदि किसी व्यक्ति/फर्म आदि को उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव है तो समाचार पत्र प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर आपत्ति/सुझाव से लिखित रूप में उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह सूचना मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.org.in पर भी उपलब्ध हैं।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।